न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गोपाल परिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या — 59/2010

अपीलार्थीगणः—

1. रूपाराम पुत्र श्री मुकनाराम उर्फ मुकिया, उम्र— 65 वर्ष, जाति—भील,
2. अणचीदेवी पत्नी स्व. कानाराम, उम्र— 70 वर्ष, जाति—भील, निवासी— भील बस्ती ग्राम बोरानाडा जोधपुर।
3. बालकराम पुत्र स्व. कानाराम, उम्र— 32 वर्ष, जाति—भील, निवासी— निवासी— भील बस्ती, ग्राम बोरानाडा जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः—

1. मंगलाराम पुत्र श्री रावताराम, जाति—भील, उम्र—50 वर्ष, निवासी— भील बस्ती ग्राम पोस्ट बोरानाडा जोधपुर।
2. शिवाराम पुत्र श्री रावताराम, जाति—भील, उम्र—49 वर्ष, निवासी— भील बस्ती ग्राम पोस्ट बोरानाडा जोधपुर।
3. भोलीदेवी पत्नी श्री जबराराम, जाति—भल, उम्र— 38 वर्ष, निवासी— ग्राम बडली तहसील व जिला जोधपुर।
4. हमदा देवी पत्नी श्री रामलाल, जाति—भील, उम्र—39 वर्ष, निवासी— ग्राम बडली तहसील व जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर
6. पटवारी पटवार हल्का बोरानाडा तहसील व जिला जोधपुर।
7. ग्राम पंचायत बोरानाडा तहसील व जिला जोधपुर।

<u>नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28.05.2009 नामान्तरकरण संख्या 858 जो सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा तहसील व जिला जोधपुर स्वीकृत किया।</u>

आदेश दिनांकः— 20/6/2021

उपस्थितिः— श्री नवरतन चारण अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

अपीलार्थीगण की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है जिसके तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि खेत खसरा संख्या 322 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बोरानाडा तहसील एवं जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि स्व. मुकानाराम उर्फ मुकिया की स्वंय की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा एवं काश्तसुदा भूमि थी तथा स्व. मुकनाराम उर्फ मुकिया द्वारा अपने जीवनकाल में खातेदारी अधिकार का प्रयोग करते हुए कब्जाकाश्त करता था तथा जिसकी खसरा गिरदावरी सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा भरी जाती थी। स्व. मुकनाराम द्वारा बतौर खातेदार, काश्तकार अपने जीवनकाल में खातेदारी अधिकारो का प्रयोग किया तथा काबिज रहा। स्व. मुकनाराम उर्फ मुकिया पुत्र श्री बीरमाराम उर्फ बिरम भील की वंशावली व सजरा खानदान प्रथम श्रैणी के वारिसान अपील में बताये गये है। स्व. मुकनाराम उर्फ मुकिया के फौत होने के पश्चात् उनके पुत्रो द्वारा उक्त वर्णित खसरा नं. 322 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो ग्राम बोरानाडा में स्थित है पर काबिज हुए तथा उक्त भूमि वादी संख्या एक की खातेदारी, काश्तसुदा व कब्जासुदा कृषि भूमि है तथा वादी संख्या दो व तीन कानाराम पुत्र मुकिया के हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज हुए तथा अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए आज तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। मुकनाराम उर्फ मुकिया निर्वसीयत फौत होने जाने के कारण उनके दोनो पुत्रो के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की गई चूंकि दोनो पुत्र मुकनाराम व उत्ताराधिकारी थे तथा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत दोनो पुत्रों ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज हुए। उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा रूपाराम के बंट में आता है तथा बाकि का 1/2 हिस्सा कानाराम के बंट में आता है तथा दोनो पुत्र अपनी अपनी हिस्से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधि.

की भूमि पर काबिज हुए। वादीगण अनपढ, अंगुठाछाप व्यक्ति है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा उक्त जाति को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है चूकि इस जाति के व्यक्ति को कानून एवं अपने विधिक अधिकारो का बोध नहीं रहता है। मुकनाराम उर्फ मुकिया के फौत होने के दिन से ही वादी संख्या एक ने आज दिनांक जमीन का बेचान नहीं किया न ही भौतिक रूप से कब्जा दिया स्वंय के हिस्से पर काबिज है। कानाराम के फौत हजोने पर वर्णित कृषि भूमि में उनके उत्तराधिकारी वादी संख्या 2 व 3 काबिज हुए। कानाराम की मृत्यु के पश्चात् कानूनन एवं वैधानिक अधिकारों के तहत स्व. कानाराम की भूमि का फौतदगी म्यूटेशन स्व. कानाराम के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज होना था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तत्कालीन हल्का पटवारी व उप संरपच व तहसील हल्का के अन्य अधिकारियों से मिलीभगत कर कानाराम व रूपाराम के हिस्से की भूमि मंगलाराम व शिवाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बता दी जबकि न तो उनके पास कब्जा था और ना ही आज है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत बातकर मंगलाराम व शिवाराम के नाम अमल दरामद कर दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अपने कई निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "mutation is fiscal proceedings and it does not confers any title" प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने योजनाबद्ध तरीके से षड़यंत्र रचते हुए उक्त कृषि भूमि का बाले–बाले बंटवाड़ा करवाकर बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लिया। जबकि उनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त भूमि भोली देवी व हमदा देवी को दिनांक 05.06.2008 को बेचान कर दी तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 858 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया। जब मंगलाराम व शिवाराम की उक्त भूमि बाबत् कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हुए थे तो उनके द्वारा भूमि का बेचान करना विधि व शुन्य नामान्तरकरण संख्या 858 निरस्त योग्य है। दिनांक 01.05.2010 को नामान्तरकरण की नकल लेने पर हमे ज्ञात हुआ कि मंगलाराम व शिवाराम ने भोली देवी व हमदा देवी को आगे भूमि बेचान कर दी। जबकि उनको कोई विधिक अधिकार नहीं था। भूमि रूपांतरित करवाने पर आमदा है। अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध तथ्यों के विरूद्ध दस्तावेजों के विरूद्ध कब्जे के विरूद्ध एवं अपीलांटस को नोटिस दिये बिना सुनवाई किये जाने के कारण खारिज योग्य है।

अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 28.05.2008 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील के साथ अपीलांटस की ओर से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब अपील का देते हुए प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की जो इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने न्यायालय हाजा में वादग्रस्त भूमि से सम्बंधित रूपाराम बनाम मंगलाराम वगेरा वाद अन्तर्गत धारा 88,91, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपरोक्त अनुवान की यह अपील पेश किया जाना सर्वथा महत्वहीन है। अपीलान्टस द्वारा पेश की गई उपरोक्त अनुवान की अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि नगर विकास न्यास जोधपुर के नाम से खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा नगर विकास न्यास, जोधपुर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। इस पद में उपरोक्त वर्णित तथ्यों अनुसार नगर सुधार न्यास जोधपुर जो कि वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से है जिसके आज्ञापक/मेन्डेन्ट्री उपबन्धों के अनुसार इस अपील में पूर्ण प्रभावित होने की वजह से अति आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए अपीलांट की यह अपील मेन्टेनेबल ही नहीं है तथा खारिज किये जाने काबिल है। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि नियमानुसार कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तित हो चुकी है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय भूमि से सम्बंधित राजस्व न्यायालय को नियमानुसार इस प्रकार की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। इसलिए भी अपीलान्टस् की यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है। धारा 90बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम से राजस्व मूल रेकर्ड जमाबंदी में खातेदार दर्ज करने का दिनांक 02.09.2008 को आदेश प्रसारित किया गया जो आदेश वर्तमान तक बहाल है तथा प्रभाव में एवंम अंतिम है तथा इस आदेश के आधार पर

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

नामान्तरकरण संख्या 907 गांव बोरानाडा दिनांक 12.09.2008 स्वीकृत के आधार पर राजस्व भूल रेकर्ड जमाबदी में नगर सुधार न्यास जोधपुर का नाम वादग्रस्त भूमि से सम्बंधित रेकर्डेड खातेदार के रूप में दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में निमयानुसार उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्णय दिनांक 02.09.2008 के विरूद्ध सुनवाई करने का न्यायालय हाजा को किसी प्रकार से कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है इसलिए भी अपीलांन्टस द्वारा पेश की गई अपील मेन्टेनेबल ही नही होने की वजह से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 48 स्वीकृत होने के बाद विवादित भूमि से सम्बंधित नामान्तरकरण संख्या 605, 858 व 907 स्वीकृत हुए है जिनमें अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 48 नियमानुसार मर्ज हो चुका है तथा बाद में इन नामान्तरकरणों के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा कोई अपील नहीं की गई इसलिए सिर्फ नामान्तरकरण संख्या 48 के विरूद्ध ही पेश की गई अपील नियमानुसार मेन्टेनेबल नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 48 के बाद स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 605 दिनांक 18.06.2004 के कॉलम नम्बर 14 में वर्णित अनुसार उप तहसीलदार झंवर के बंटवाडा आदेश दिनांक 14.06.2004 की पालना में स्वीकार होना प्रमाणित है उक्त बंटवाडा आदेश को अपीलांटस द्वारा चेलेन्ज नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रसारित बंटवाड़ा आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश नामान्तरकरण अपील के माध्यम से सुनवाई नहीं की जा सकती है। इसलिए भी यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है।

अन्त में जवाब व प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर निवेदन किया कि अपील क्षेत्राधिकार विहिन होने तथा वर्णित नियमो व कारणो को बिनाय पर प्राथमिक स्तर से खारिज किया जाना न्यायोचित है इसलिए अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

अपील बहस हेतु रखी गयी। अपील में बहस करने हेतु अपीलांटस् अधिवक्ता को रूक-रूक कर आवाजे लगवाई गई अपीलांटस् की ओर से कोई उपस्थित। रेस्पोडेन्टस् की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नवरतन चारण उपस्थित।

रेस्पोडेन्टस् विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी। रेस्पोडेन्टस् विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना-पत्र व प्रारम्भिक आपत्तियों को दौहराते हुए तर्क दिया कि घोषणा का वाद लम्बित रहते हुए संक्षित कार्यवाही के म्यूटेशन प्रकरण में कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी उचित है। यदि विवादग्रस्त भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है तो उस पर राजस्व न्यायालयों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। धारा 90 बी एल.आर.एक्ट. में विद्यमान अन्य प्रावधानो के अतिरिक्त में भी प्रभावशील है। धारा 90 बी के तहत आदेश के विरूद्ध धारा 90बी उप धारा 10 अनुसार अन्य न्यायालय को सुनवाई सिविल न्यायालय करने का अधिकार नहीं होगा उप धारा 7 के अनुसार 90 बी के तहत प्रसारित आदेश के विरूद्ध सिर्फ संभागीय आयुक्त के सक्षम ही अपील में सुनवाई की जा सकेगी का प्रावधान है। नामान्तरकरण के अपील में स्वत्वों का निस्तारण नहीं कराया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति अपने स्वत्वों के प्रति 23 वर्षो तक सोता रहे और कोई कार्यवचाही नहीं करे तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय भी कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है। अपील म्याद बाहर है व अपील खारिज किया जाना विधिवत् है। अपील पेश करने में समय असाधारण विलम्ब उचित रूप से एवंम संतोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया- सहानुभूति आधारो पर न्यायालय विलम्ब उपेक्षण/माफ नहीं कर सकता है। मामला म्याद बाहर है इसलिए खारिज योग्य अपील है। निश्चित मयाद में प्रकरण पेश नहीं होने पर बेचान एस.सी. से नोन एससी के पक्ष मे होने पर वोईड बैचान होते हुए भी मयाद की बध्याता लागू होगी। बैचाननामा अनरजिस्टर्ड जिसका प्रतिफल केवल 99/- रूपये है का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है तथा यह बेचाननामा अपंजीकृत होने के कारण गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थित में खरीददार उस जमीन का मालिक समझा होगा। यदि वोईड बेचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत है तथा उसके बेदखली की मयाद समाप्त हो चुकी है तो उक्त म्यूटेशन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। भूमि का पिता द्वारा बेचान किये जाने पर पुत्र उस बेचान से बाध्य है जब तक वह उस बेचान को निरस्त नहीं करवा देता। अपीलार्थी ने आपत्ति उठाई थी अपीलार्थी ने अपील पेश करने से पूर्व अनुमति नहीं ली इसलिए यह अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलांट ने विलम्ब माफ करने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना-पत्र पेश नही किया। विलम्ब शमन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

के आवेदन की अनुपस्थिति में न्यायालय को डिक्री अपास्त करने हेतु पेश आवेदन स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त अपील खारिज करना विधिवत् है।

रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता की ओर से इन सभी तर्कों के समर्थन में नि. मांकित नजीर पेश– **RRD 2005 Page 539 Para 6&7, RRD 1988 Page 212, RRT 2014(1) page 11 Para 24, Section 90(B) L.R. Act, RRD 2002 Page 527 Para 6, RRT 2007 (2) Page 939 S.C., RRT 2006 (1) Page 383(1) SC, RRD 1997 Page 237 Para 5, RRD 1979 Page 9 Raj.High.Court (D.B.), RRD 1988 Page 610, RRT 2009-10 (Suppli.) Page 99, RRT 2009(1) Page 432 S.C., RRT 2009-10(Supplementary) page 1 S.C., RRD 2005 Page 150 Para 10 & 11** प्रस्तुत की गई।

हमने प्रस्तुत अपील, धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र मय प्रारम्भिक आपत्तियां, नामान्तरकरण, राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, बहस के दौरान रेस्पोडेन्टस विद्वान अधिवक्ता की ओर से दिये गये तर्कों एवं तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत कानूनी नजीरों एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 13.01.1972 का जो उप–सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा मुकिया पि. वीरम कौम भील सा. देह खातेदार होने पर ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322 में रूपाराम, कानाराम पि. मुकया जाति भील सा.देह खातेदार के नाम अंकन किया गया इसी नामान्तरकरण में बैचान रूपये 95/– का अंकन करते हुए मंगलाराम व सिवाराम पि. रावतराम जाति भील सा.देह खातेदार दर्ज किया हुआ है।

खातेदार रेस्पाडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 को उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विलेख के जरिये बैचान कर दी। पंजीबद्ध विलेख के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा प.स. लूणी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 858 दिनांक 25.08.2008 भरा गया है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बोरानाडा व पटवारी हल्का द्वारा भू–राजस्व के नियमों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् तरीके से नामान्तरकरण पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी नहीं की गई है, क्योंकि उक्त नामान्तरकरण पंजीबद्ध विलेख के आधार पर भरा गया है जो कि एक फिसीडिंग प्रोसेडिग की श्रेणी में आता है। अपीलांटस ने अपने अपील में कथन किया है कि उपरोक्त भूमि का उनके पूर्वजों द्वारा न ही भूमि बैचान किया है न ही किसी को हस्तांतरण किया है तथा बैचान हुआ ही नहीं है बताया है, अगर भूमि का बेचान हस्तान्तरण उनके पूर्वजो द्वारा किया ही नहीं है तो जिस बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण पारित किये गये जिसके लिए अपीलांट को नामान्तरकरण की अपील दायर नहीं कर सक्षम न्यायालय में बैचाननामा निरस्त करवाने का वाद दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी अपीलांट द्वारा नहीं किया गया।

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 11.09.2008 व न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास जोधपुर के प्रकरण संख्या 1818/2008 निर्णय दिनांक 02.09.2008 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 907 के जरिये नगर विकास न्यास जोधपुर के नाम दर्ज है उक्त नामान्तरकरण उप तहसीलदार झंवर द्वारा पारित किया गया है।

ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 322 व 322/1 की भूमि को अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कृषि भूमि से आबादी भूमि में संपरिवर्तन हो चुकी है। अपील में नगर विकास न्यास जोधपुर (वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर) को पक्षकार नहीं बनाया गया है न ही सपरिवर्तन करवाने हेतु भू–धारक को पक्षकार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील में सभी पक्षकारो को पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में अपील विधि द्वारा बाधित है व चलने योग्य प्रतीत नहीं होती है। धारा 5 लिमिटेशन के तहत जो प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जिसमें नकल लेने की दिनांक से 90 दिवस के अवधि बीत जाने के पश्चात् यह अपील पेश की गई है इसलिए लिमिटेशन अपील मे समाप्त हो चुकी है इस कारण भी अपील चलने योग्य नहीं है।

ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322 से सम्बंधित एक वाद संख्या 69/2010 बअनवान रूपाराम वगैरा बनाम मंगलाराम अन्तर्गत धारा 88,91,92 व 188 राजस्थान काश्तकारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अधिनियम के तहत इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें रेस्पोंडेन्टस् की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय ने दिनांक 25.03.2011 को स्वीकार करते हुए अपीलांट्स के वाद को इस आधार पर खारिज किया गया कि **"क्योंकि विवादित भूमि कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है और नगर सुधार न्यास (जे डी ए) के खाते में दर्ज है अत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विधि द्वारा बाधित होने के कारण दावा खारिज किया जाता है।"**

अपीलांटस् द्वारा धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र में अपील हुई देरी का समुचित कारण युक्तियुक्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। एवम् अपील में भी विद्वान अधिवक्ता व अपीलांट्स की ओर से किसी प्रकार की पैरवी भी नहीं की जा रही है इससे यह जाहिर होता है कि केवलमात्र न्यायालय का समय खराब करने के एवज से यह अपील प्रस्तुत की गयी है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

सम्पूर्ण पत्रावली के विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपीलांटस् की अपील खारिज की जाती है।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

आदेश आज दिनांक 20/6/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी